उत्तर प्रदेश शासन
चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-3
संख्या-99/2021/812/71-3-2021-एनएम-04/2018
लखनऊ : दिनांक 16 अगस्त, 2021

शुद्धि पत्र

वित्तीय वर्ष 2021-22 में स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, एटा के निर्माण कार्य हेतु शासनादेश संख्या-98/2021/ई-1755459/71-3-2021-एन0एम0-04/2018, दिनांक 12 अगस्त, 2021 के प्रस्तर-4 में उल्लिखित लेखाशीर्षक में त्रुटिवश "0101-मेडिकल कालेज एटा" के स्थान पर "0103-मेडिकल कालेज, एटा" अंकित हो गया है। उक्त शासनादेश के प्रस्तर-4 के लेखाशीर्षक में "0103-मेडिकल कालेज, एटा" के स्थान पर "0101-मेडिकल कालेज, एटा" पढ़ा व समझा जाए।

उक्त शासनादेश इस सीमा तक संशोधित समझा जाए। शासनादेश की शेष शर्ते एवं प्रतिबन्ध यथावत् रहेगी।

(अनिल कुमार)
संयुक्त सचिव।

संख्या:-99/2021/812(1)/71-3-2021 तद्यदिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
3. महानिदेशक, चि0शि0 एंव प्रशि0, उ0प्र0 लखनऊ।
4. प्रधानाचार्य, स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, एटा।
5. वित्त नियंत्रक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
6. वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
7. निदेशक, कान्स्ट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज (उ0प्र0 जल निगम), लखनऊ।
8. नियोजन-अनुभाग-4
9. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अनिल कुमार)
संयुक्त सचिव।

Go/Devendra Sir/2021